

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—१  
संख्या—२९१७ / आठ—१—०६—४५विविध / ०६टीसी  
लखनऊ : दिनांक १८ मई, २००६

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पैंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु “हाई-टेक टाउनशिप नीति—२००६” के अंतर्गत विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कार्यालय—ज्ञाप संख्या : २९१६ / आठ—१—०६—४५विविध / २००६ टीसी दिनांक १८—५—२००६ द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु महाहिम श्री राज्यपाल एक तकनीकी मूल्यांकन समिति के निम्नवत् गठन करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करते हैं :—

(I)	अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु	अध्यक्ष
(II)	उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण	सदस्य
(III)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.	सदस्य
(IV)	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो नगर एवं ग्राम नियोजक के रैंक से कम न हो	सदस्य
(V)	प्रोफेसर एण्ड हैड, अर्बन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर आई.आई.टी., रुड़की अथवा उनके द्वारा नामित अर्बन प्लानिंग या टाउनशिप नियोजन में अनुभवी विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर रैंक से कम न हो	सदस्य
(VI)	इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, इण्डिया अथवा अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्था द्वारा नामित वित्त विशेषज्ञ	सदस्य
(VII)	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य संयोजक

२— उपर्युक्तानुसार गठित तकनीकी समिति विकासकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के परीक्षण में उच्च स्तरीय समिति को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।

के.एल. मीना

सचिव

संख्या—2917(1) / आठ—1—06, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रो. एण्ड हेड, अरबन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, आई.आई.टी. रुड़की।
6. इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट, नई दिल्ली।
7. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनुसचिव